

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधि सूचना ॥

संख्या—सं0का0-1/वि0म0 (सदस्यों का वेतन एवं भते)–05-02/2011(पार्ट)-...../ पटना, दि0-....., 2013

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भते एवं पेशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भते एवं पेशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

*1724(1)
0404-2013*
(कुमा)
बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भते एवं पेशन) (संशोधन) नियमावली, 2013

- संसिप्त नाम और आरंभ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भते एवं पेशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।
(2) यह अधिसूचना इसके निर्माण की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम-10 एवं नियम-17(4) का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमावली, 2006 का नियम 10 एवं नियम 17 (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :—

“10. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। – प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्बादन हेतु एक सहयात्री के साथ, प्रथम ए0सी0, द्वितीय ए0सी0, तृतीय ए0सी0 श्रेणी में भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्राओं के लिए, प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख रुपये मूल्य का रेलवे कूपन दिये जायेंगे। सदस्य, कुल 2.00 (दो) लाख रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए, परिवार के सदस्यों के साथ अधिकतम 100000/- (एक लाख) रुपये के हवाई यात्रा के हकदार होंगे।”

“17(4). रेलवे कूपन की सुविधा। – बिहार विधान मण्डल का पूर्व सदरय एक सहयात्री के साथ प्रथम ए0सी0/ द्वितीय ए0सी0/ तृतीय ए0सी0/ स्लीपर क्लास में प्रत्येक वर्ष 100000/- (एक लाख) रुपये मूल्य के रेल कूपन पर यात्रा करने का हकदार होगा।

परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हों, रेलवे कूपन पर यथा उपर्युक्त प्राक्षणों के अनुसार यात्रा के हकदार होंगे।

परन्तु और कि, वे रेलवे कूपन पर की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा भता/ दैनिक भता प्राप्त नहीं करेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ—पत्र, यथारिति, सचिव, विधान सभा/सचिव, विधान परिषद् को एवं अपने नियोजन-प्राधिकार को देना होगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

₹0/-

(बृज राज राय)
सरकार के उप सचिव।

शापांक—सं0का0-1/वि0म0 (सदस्यों का वेतन एवं भते)–05-02/2011(पार्ट)-...../ पटना, दि0-....., 2013

प्रतिलिपि—महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाइ भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सं.)
सरकार के उप सचिव। 3.4.13

